कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर।

संख्या : 126/XV दिनांक : 13-05-2020

आदेश

जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर की आख्या दिनांकित 13-05-2020 के अनुसार नगर पालिका परिषद, गाजीपुर के थाना कोतवाली अन्तर्गत 02 स्थान हबीब मस्जिद महुआबाग तथा मरकजी मस्जिद बड़ापुरा के क्षेत्रों में बनाये गये हाट स्पाट/कन्टेन्मेंट जोन को समाप्त कर दिया गया है। चूँकि जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर की आख्या में जनपद गाजीपुर के मुख्यालय स्थित दीवानी न्यायालय को हाट स्पाट/कन्टेन्मेंट जोन में होने का उल्लेख नहीं किया गया है। अतएव जनपद गाजीपुर के मुख्यालय स्थित दीवानी न्यायालय को हाट स्पाट/कन्टेन्मेंट जोन की परिधि से बाहर माना जाएगा।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1091/iv-CPC/e-Courts/ Allahabad/Dated 05 मई, 2020 में जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर जनपद गाजीपुर के दीवानी न्यायालय को दिनांक 08-05-2020 से खोलने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये थे परन्तु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1093/iv-CPC/e-Courts/ Allahabad/Dated 07 मई, 2020 के माध्यम से विभिन्न जोन के अन्तर्गत आने वाले जिलों के अधीनस्थ न्यायालय के संचालन के सम्बन्ध में प्राप्त दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर से आख्या आहूत किये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा दिनांक 07-05-2020 को जनपद न्यायालय, गाजीपुर का परिसर containment zone की परिधि में आने के बाबत रिपोर्ट दी गयी, जिसके कारण जनपद न्यायालय, गाजीपुर को containment zone की परिधि से बाहर आने तक के लिए बंद कर दिया गया। अब जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर की आख्या दिनांकित 13-05-2020 के अनुसार जनपद गाजीपुर का मुख्यालय स्थित दीवानी न्यायालय हाट स्पाट/ कन्टेन्मेंट जोन की परिधि से बाहर आ गया है, जिसके फलस्वरूप दिनांक 14-05-2020 से जनपद गाजीपुर के मुख्यालय स्थित दीवानी न्यायालय को प्रातः 10-00 बजे से अपरॉह 5--00 बजे तक पूर्व पारित आदेश दिनांकित 07-05-2020 के कम में आरेंज जोन के अनुसार संचालित किया जाएगा।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1091/iv-CPC/e-Courts/ Allahabad/Dated 05 मई, 2020 के परिप्रेक्ष्य में जनपद गाजीपुर के मुख्यालय स्थित दीवानी न्यायालय को खोलने के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 07-05-2020 को पारित किया गया था जो, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1093/iv-CPC/e-Courts/ Allahabad/Dated 07 मई, 2020 एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर के रिपोर्ट दिनांकित 07-05-2020 के अनुसार मुख्यालय स्थित दीवानी न्यायालय परिसर गाजीपुर को कान्टन्मेंट जोन में होने के कारण अग्रिम आदेश तक स्थगित किया गया था। अतएव माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1091/iv-CPC/e-Courts/ Allahabad/Dated 05 मई, 2020 के परिप्रेक्ष्य में पूर्व पारित आदेश दिनांकित 07-05-2020 का स्थगन का प्रभाव समाप्त करते हुए उसे दिनांक 14-05-2020 से प्रभावी माना जाएगा तथा पूर्व पारित आदेश दिनांकित 07-05-2020 के कम में ही वादों की सुनवाई की जाएगी।

समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण व संबंधित को सूचित किया जाए। इसके साथ ही आदेश की एक प्रति नोडल आफिसर कम्प्यूटर/सिस्टम आफिसर को जनपद न्यायालय, गाजीपुर के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्राप्त कराया जाए तथा आदेश की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाए कि वह उपरोक्त आदेश को स्थानीय अधिकृत मीडिया के माध्यम से प्रकाशन कराये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

Scanned with CamScanner

इस आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर अविलम्ब चस्पा की जाए तथा आदेश की एक–एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर, मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर, अध्यक्ष/महासचिव, समस्त बार एसोसियेशन, गाजीपुर, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, गाजीपुर, जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी एवं फौजदारी को प्रेषित की जाए।

समस्त संबंधित को इस आदेश की प्रति के साथ पूर्व में पारित आदेश दिनांकित 07–05–2020 की प्रति भी संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

मुख्यालय स्थित दीवानी न्यायालय, गाजीपुर के दिनांक 14–05–2020 से संचालित होने के बाबत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचना भेजी जाए।

Raghvendra 13/5/20

(राघवेन्द्र)
जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।

दिनॉक : 13–05–2020

Scanned with CamScanner